

दिनांक 27 मार्च, 1990 को प्रातः 11.00 बजे कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा-जयपुर में आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्तः  
निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :-

1. डा. के. एन. नाग अध्यधिकारी
2. श्री एम. एल. मेहता
3. श्री सी. एस. राजन
4. श्री दी. एस. सिंह प्रपश्न पालन सचिव के प्रतिनिधि
5. श्री एम. एल. शर्मा शिक्षा सचिव के प्रतिनिधि
6. डा. ओ. एस. राठौड़
7. डा. एस. एन. सकैना
8. डा. एस. एस. आचार्य
9. श्री युसूफ अली
10. श्री राजन सुदेशन
11. डा. के. पी. पंत
12. डा. जी. एस. शेखावत
13. डा. आचार्य हरेश सी. जांवरिया
14. श्री राम गोपाल चौधरी
15. डा. बी. बी. लाल
16. श्री खुशहाल सिंह सदस्य सचिव

#### आमंत्रित सदस्य

श्री बी. एस. उज्ज्वल

कुलपति द्वारा डा. बी. बी. लाल के पृथम बैठक में भाग लेने पर उनका स्वागत किया और उनके द्वारा मंडल की बैठकों में सक्रिय योगदान की आशा व्यक्त की ।

रक्षि/प्रक्रि-16/21A प्रबन्ध मंडल की गत बैठक दिनांक 12.2.90 के कार्यवृत्त की पुष्टि पर विचार  
90-2/ 21B. किया गया ।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि कार्यवृत्त की पुष्टि निम्न संशोधनों के साथ की जाय :

- अ१. मद संख्या 201 तदर्थ/अस्थाई तौर पर कार्य कर रहे उन सभी कर्मचारियों को जो दिनांक 12.2.90 के पूर्व कार्यरत थे, यदि विश्वविद्यालय प्रशासन कार्य हित में चाहे उनकी सेवा अवधि जब तक बढ़ाई जा सकती है जब तक कि वैधानिक चयन समितियों द्वारा चयनित व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो जाते ।
- आ२. जिन नई नियुक्तियों द्वेषु 12.2.90 के पूर्व साक्षात्कार हो गये हैं उन पर 12.2.90 के पूर्व विघ्मान व्यवस्था अनुसार कार्यवाही कर नियुक्ति हो दी जायें ।
- इ३. शैक्षणोत्तर रिक्त पदों पर, सामान्य नियुक्ति की प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति की जाये रिक्त पदों के लिये राजस्थान के दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर प्रार्थना-पत्र आमंत्रित कर चयन की प्रक्रिया की जाती रहे ।

- ३।।१५ जिन पदों हेतु 12.2.90 को प्रबन्ध मंडल की बैठक के पश्चात नियमित चयन समिति के माध्यम से चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, उनके संबंध में नियुक्तियाँ विज्ञापित पदों की संख्या तक कर ली जावें ।
- ३।।१६ वरिष्ठ तकनीकि सहायक तथा प्राध्यापक की एक वर्ष की अवधि तक के लिए तदर्थ नियुक्त हेतु योग्यता क्रम बनाने की वहीं प्रक्रिया अपनाई जाये जो निदेशक, कॉलेज शिक्षा द्वारा प्रवक्ता के पद पर तदर्थ नियुक्ति देने के लिये अपनाई जाती है ।
- ३।।१७ इन पदों के लिये राज्य स्तर के दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर प्रार्थना-प्रत्र आमंत्रित किये जावे ।
- ३।।१८ रिक्त शैक्षणिक पदों के कार्य सम्पादन के लिये वरिष्ठ तकनीकि सहायकों को नहीं लगाये जाये बल्कि उपयुक्त ३।।१९ में दी गई प्रक्रिया से ऐसे कार्यों के सम्पादन के लिये प्राध्यापकों की तदर्थ नियुक्ति एक वर्ष के लिये की जाये । प्राध्यापकों की तदर्थ नियुक्तियों में अनुभवी प्रत्याशी नहीं मिलने पर शिक्षण अनुभव की गति में शिथिलता बरतो जा सकेगी ।
- ३।।१९ शैक्षणिक पदों पर निर्धारित चयन के बारे में प्रबन्ध मंडल की 12.2.90 को हुई बैठक के कार्यवाही विवरण तथा उसमें जन्य परिस्थितियों पर विस्तार से विचार कर तथ किया गया कि विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के लिये 15 अप्रैल, 1990 तक अध्यादेश जारी करने हेतु राज्य सरकार को लिखा जाय और अध्यादेश जारी होने तक नियमित चयन नहीं किये जाये । - कृषि उत्पादन सचिव ने स्पष्ट किया कि वह विदेश से सम्भवतः 13, 14 अप्रैल, 1990 को लौटेगे, पर पूरे प्रयत्न करेंगे कि अध्यादेश 15.4.90 तक या उसके आस-पास ही जारी हो जावे । उन्होंने इस बारे में जारी राज्यादेश इति निर्णय के कारण निर्धक होने से वापस लेने का विचार भी व्यक्त किया ।

२४४/५८-१६) २१९. कार्यवृत की क्रियान्वित पर विचार किया गया ।

१०-२) २१९. निर्णय लिया गया कि कार्यवृत की निम्न टिप्पणी के साथ आलोकित किया जाय :

- अ०. कार्यालय आदेश 14.3.90 को अप्रभावी माना जाय ।
- आ०. केरीयर सड़वान्सेंट योजना को क्रियान्वित करने पर मत रहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को इस योजना को क्रियान्वित करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्त दावा भेज दिया जावे और योजना लागू किये जाने की प्रक्रिया पूर्ण की जाय । निर्णय लिया गया कि योजना को क्रियान्वित राज्य सरकार के आदेशमुसार ही की जाय ।

इ? चतुर्थ ब्रेणी कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान किये जाने पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा लिखे पत्र में वांछित सूचना प्राप्त होने पर विचार किया जासकेगा ।

राज्यपी/प्रबा-16/220. बजट 1990-91 पर विचार किया गया ।  
90-2/220

निर्णय लिया गया कि बजट को निम्न संगीधन के साथ पारित किया जाय वित्त समिति की बैठक दिनांक 24. 3. 90 के कार्यवृत्त ले उत्तर्गत कृषि फ़ासीव्यावहारिका उत्पादकता एवं उपादेयता का परीक्षण करने हेतु एक निम्न समिति का गठन किया गया :

1. डा. एस. एन. तबैना - निदेशक, कृषि अनुसंधान - अध्यक्ष
2. निदेशक, कृषि विभाग या उनका प्रतिनिधि
3. डा. के. एस. नाथावत - सीडीडीनिटर - संयोजक
4. डा. जी. एस. शेळावत - सदस्य प्रबन्ध बोर्ड
5. श्री राम गोपाल घौड़री - सदस्य प्रबन्ध बोर्ड
6. डा. एस. एस. आचार्य - आचार्य, कृषि अर्थशास्त्र

बजट पर विचार किया के दौरान यह निर्णित किया गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दी जाने वाली राशि पिछले पांच वर्षों का एक विस्तृत और तेजार करदा कर राज्य सरकार को भी प्रेषित करें । बोरे का परीक्षण हेतु एक निम्न समिति गठन किया गया जो अपना प्रारंभिक बोर्ड की अगली बैठक में पुस्तुत करे । यह भी मत रहा कि इस समिति की बैठक जयपुर में ही आयोजित हो तो ज्यादा एकाधारी होगी । समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे :

1. निदेशक कृषि
2. डा. जी. एस. शेळावत
3. डा. एस. एस. आचार्य
4. डा. आचार्य दरेक सी. सांवरिया
5. श्री बी. एस. उच्चल - संयोजक

राज्यपी/प्रबा-16/221. प्रबन्ध बोर्ड की स्थापना समिति की बैठक दिनांक 8. 3. 90 के कार्यवृत्त की पुष्टि पर विचार किया गया ।  
90-2/221

निर्णय लिया गया कि कार्यवृत्त की पुष्टि निम्न टिप्पणि के साथ की गयी :

"अधिकारियाँ/निदेशकों की नियुक्ति डा. जी. बी. के. राव समिति को तिफारियाँ के जाधार पर नियुक्तियाँ खुले रैवापन हारा की जाय पह भी नह रहा कि अधिकारियाँ/निदेशकों की नियुक्तियाँ जो भाषु सीमा 45 से 55 वर्ष रही जायें " ।

२२१/पा०-१५/४ २२२.

१०-२/२२२

कृषि उत्पादन सचिव ने विभाग में कार्यरत कृषि पर्यवेक्षकों को कृषि स्नातक की उपाधि प्राप्त करने हेतु महाविद्यालय में प्रवेश की सुविधा दिये जाने का मत रखा। विचार विमर्श के दौरान मत रहा कि न्यूनतम अर्द्धताएँ रखने वाले प्रत्याधियों को प्रवेश दिया जा सकता है पर 10 प्लस। प्लस 3 कोर्स की कक्षाएँ अलग चलाने हेतु कम से कम 20 छात्र होना अनिवार्य बताया। यौंकि यह प्रश्न कृषि पर्यवेक्षकों के सहायक कृषि अधिकारी पद पर पदोन्नति हो जाने पर मिलने वाले वेतनमान से भी जुड़ा हुआ है अतः कृषि उत्पादन सचिव ने इस पर पहले राज्य सरकार द्वारा विचार करने का मत व्यक्त किया।

बैठक की कार्य सूचि की अन्य मदों पर सम्याभाव के कारण विचार विमर्श नहीं हो सका।

अध्यक्ष के पुति धन्वधाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त की घोषणा की गई।

₹०/-

के. सन. नाग

अध्यक्ष

₹०/-

खुशाल सिंह

सदस्य सचिव

सुरज/-